संख्या–1200 /80–1–2017–600(12)/2009

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 18 जुलाई, 2017

विषयः प्रदेश में आलू उत्पादकों, व्यापारियों व निर्यातकों को आलू विपणन हेतु परिवहन भाड़ा अनुदान व प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष–2016–17 में आलू के अत्यधिक उत्पादन एवं आलू की खपत की माँग में पर्याप्त वृद्धि न होने के फलस्वरूप प्रदेश में आलू के बाजार मूल्य में भारी गिरावट देखी जा रही है और इससे आलू उत्पादक कृषकों के लिए जीविका का संकट उत्पन्न हो रहा है। अतः आलू उत्पादक कृषकों की समस्याओं के निराकरण एवं आलू के बाजार मूल्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए शासन द्वारा आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया गया है। इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शासनादेशों (शासनादेश संख्या–227/80–1–2009–600(12)/2009, दिनांक 21 जनवरी, 2009, शासनादेश संख्या–269/80–1–2009–600(12)/2009, दिनांक 29 जनवरी, 2009, शासनादेश संख्या–1425/80–1–2009–600(12)/2009, दिनांक 17–7–2009, शासनादेश संख्या–1364/80–1–2015–600(12)/2009, दिनांक 04–6–2015 तथा शासनादेश संख्या–2783/80–1–2015–600(12)/2009, दिनांक 23–11–2015) को अवक्रमित करते हुए कृषि वर्ष–2016–17 में उत्पन्न आलू के विपणन को राज्य की सीमा के अन्दर व राज्य के बाहर प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

(1) उत्तर प्रदेश राज्य में आलू उत्पादन जनपदों के सापेक्ष अन्य जनपदों में आलू के तुलनात्मक रूप से अधिक बाजार मूल्य के दृष्टिगत राज्य की सीमा के अन्तर्गत 300किमी0 से अधिक दूरी के परिवहन होने पर वास्तविक रूप से व्यय किये गये परिवहन भाड़े पर आलू उत्पादकों एवं आलू व्यापारियों को परिवहन भाड़ा अनुदान प्रदान किया जायेगा।

(2) भारत के अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश राज्य के सापेक्ष आलू के तुलनात्मक रूप से अधिक बाजार मूल्य के दृष्टिगत राज्य में उत्पादित आलू को भारत के अन्य राज्यों में भेजने पर

वास्तविक रूप से व्यय किये गये परिवहन भाड़े पर परिवहन भाड़ा अनुदान प्रदान किया जायेगा।

(3) प्रस्तर–(1) व (2) के अनुसार राज्य के अन्दर व राज्य के बाहर व्यवसायिक विपणन हेतु प्रेषित किये जाने पर रू0 50.00 प्रति कुन्तल की दर से अथवा वास्तविक रूप से व्यय किये गये परिवहन भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो की दर से परिवहन भाड़ा अनुदान प्रदान किया जायेगा। उपरोक्तानुसार विपणन किये गये आलू पर मण्डी शुल्क व विकास सेस की छूट प्रदान की जायेगी।

(4) आलू उत्पादक द्वारा यदि उपरोक्तानुसार स्वयं आलू का परिवहन किया जाता है तो उसे ऐसे आलू को परिवहन करने के समय अपने साथ खसरा एवं खतौनी की सत्य प्रतिलिपि एवं व्यवसायिक विपणन के लिए की गयी परिवहन बुकिंग के मूल प्रपत्र एवं सम्बन्धित कोल्ड स्टोरेज से निर्गमन रसीद को साथ रखना अनिवार्य होगा। आलू उत्पादक द्वारा उपरोक्तानुसार विपणन करने के उपरान्त अनुदान प्राप्त करने के लिए उपरोक्त प्रपत्रों को मूल रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त भुगतान डिजिटल पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। मण्डी परिषद द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में पृथक से विस्तृत निर्देश निर्गत किये जा सकते हैं।

(5) आलू व्यापारियों द्वारा राज्य में उत्पादित आलू के राज्य के अन्दर 300 किमी0 से अधिक एवं राज्य के बाहर व्यवसायिक विपणन हेतु आलू को परिवहन करने पर देय परिवहन भाड़ा अनुदान प्राप्त करने के लिए ऐसे आलू के परिवहन के समय मण्डी परिषद प्रपत्र 6आर व 9आर तथा परिवहन की बुकिंग की बिल्टी, सम्बन्धित कोल्ड स्टोरेज से निर्गमन रसीद की मूल प्रति अनिवार्य रूप से वाहन के साथ प्रेषित करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार मण्डी समिति से देय अनुदान प्राप्त करने के लिए इन प्रपत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। मण्डी परिषद द्वारा इस विषय में सुलभ प्रकिया हेतु पृथक से निर्देश निर्गत किये जा सकते हैं।

(6) आलू के निर्यात द्वारा आलू के मूल्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आलू उत्पादकों व आलू व्यापारियों को भारत के बाहर आलू निर्यात करने की दशा में रू0 200.00 प्रति कुन्तल की दर से अथवा वास्तविक परिवहन भाड़ा व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो की दर से परिवहन भाड़ा अनुदान प्रदान किया जायेगा। यदि निर्यात किया जाने वाला आलू "ताज ब्राण्ड" आलू होगा तो ब्राण्ड प्रमोशन नीति के अन्तर्गत मण्डी परिषद द्वारा ऐसे आलू पर रू0 50.00 प्रति कुन्तल की दर से अतिरिक्त ब्राण्ड प्रमोशन अनुदान प्रदान किया जायेगा। निर्यात किये जाने वाले आलू पर मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट प्रदान की जायेगी।

(7) आलू के व्यापार एवं विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी निर्देशित किया जाता है कि मण्डी परिषद द्वारा ऐसे अस्थायी यार्डो की स्थापना की जाय जहॉ पर लगभग 1000 टन आलू का अस्थायी रूप से कय–विकय किया जा सके।

(8) आलू के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सम्बन्धित विभागों(हाफेड, मण्डी, एपीडा) द्वारा प्रमुख आलू उत्पादक / भण्डारण वाले क्षेत्रों में बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाय तथा राज्य की उपरोक्त योजना व नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार कर निर्यात एवं विपणन को प्रोत्साहित किया जाए।

(9) जो आलू उत्पादक अथवा आलू निर्यातक पोटैटो एक्सपोर्ट्स फैसिलिटेशन सोसाइटी के वर्तमान में सदस्य नही है और वे निर्यात करने के इच्छुक हों तो उन्हें ऐसी सदस्यता अविलम्ब प्रदान कर दी जाए।

उक्त प्रोत्साहन व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 2017 तक के लिए लागू होगी। आलू के विपणन/परिवहन में दिये जाने वाले अनुदान पर आने वाला व्ययभार मण्डी परिषद द्वारा अपने आय के स्रोतों से वहन किया जायेगा। उक्त विपणन प्रोत्साहन एवं अनुदान व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में मण्डी परिषद द्वारा मण्डी परिषद के संचालक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

रजनीश गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–1200(1)/80–1–2017तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 नीरज शुक्ला)
विशेष सचिव